

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट जोसेफ स्कूल मऊपाकड

क्षेत्र-सदर, जनपद -महराजगंज।

पत्रांक/शिविर/4925-29/2004-05/

दिनांक:- 19-1-2005

विषय:-प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में जनपद मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है। कृपया प्रतिबन्धों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें। जुलाई, से मान्यता दी जाती है।

- 1- विद्यालय भवन मानक के अनुसार पूर्ण कर लिया जाय।
- 2- विद्यालय में उ0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढायी जाएंगी।
- 3- नियुक्त अध्यापकों का अनुमोदन नियमानुसार कराया जाय।
- 4- विद्यालय में नियमानुसार एक प्रधानाध्यापक तथा चार स0अ0 का पद मान्य होगा।
- 5- मानक से अधिक अध्यापक एवं वर्ग बिना विभाग की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- 6- विद्यालय प्रबन्ध समिति का पंजीकरण सोसायटी एक्ट 1960 के अन्तर्गत कराना अनिवार्य होगा।
- 7- समस्त विभागीय आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा। नियमों का पालन नहीं करने की दशा में विद्यालय की मान्यता निरस्त करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित है।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज 12/1/05

पू0सं0/शिविर/

/2004-05- तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र-सदर, जनपद- महराजगंज।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।


MANAGER
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)


PRINCIPAL
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक

सेन्ट जोसेफ स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) मउ पाकड़ -
सदर, महाराजगंज।

पत्रांक/ 2901-05 / 2004-05/

दिनांक:- 01-10-2004

विषय:- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में शासनादेश संख्या: 646/15-6-97-18 एस 0(7)/89 दिनांक:- 13.08.97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू 0 हा 0 स्कूल की अस्थायी मान्यता हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा-6 से 8 तक) के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से नीचे अंकित निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03 (तीन) वर्ग अनुमन्य होंगे। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र 0 अ 0 सहित कुल पाँच अध्यापक/अध्यापिका, एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होंगे। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय/शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध:-

1. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी, आर न ही अन्य पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जाएंगी।
2. विद्यालय में राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
3. प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका ही रखे जायें। बिना बे 0 शि 0 अधि 0 की अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेंगे, न निकाले जायेंगे।
4. विद्यालय में प्राथमिक पाठशाला चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।
5. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषद के समान वेतन महंगाई भत्ता आदि देय होगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। जिसको डाकघर राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।
9. सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 06 माह के अन्दर कराना अनिवार्य है।

भवदीय

डा 0 (कौशल किशोर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।

पृ 0 सं 0/

/ 2004-05- तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ 0 प्र 0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महाराजगंज।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज।
5. संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।

डा 0 (कौशल किशोर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज।


MANAGER
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)


PRINCIPAL
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

जनसंख्या शिक्षा, विद्या अर्थ, शिक्षातंत्र, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upspe.com

ई-मेल: upsepo@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780384; 2781128



प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: ०८ मार्च, 2022

पत्रांक: रा०प्र०नि०/ 5654 /2021-22/लखनऊ

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्तिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-8-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-संक्षेप

भवदीया,

(अनामिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांक: रा०प्र०नि०/
प्रतिलिपि

/2021-22/लखनऊ/तददिनांक

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइबर-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

MANAGER
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)

PRINCIPAL
ST. JOSEPH'S SCHOOL
Chawk Road, Maharajganj (U.P.)